



SPEED POST

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)
File No. BLA/2/2019/STGCG/SEOTH/RU-III दिनांक: 17-12-2019

सिटिंग नोटिस

विषय: छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी मर्यादित छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों से कम से कम दो प्रबंध संचालक नियुक्त करने बाबत श्री बी.एल.साय, महासचिव, आरक्षित वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ, छ.ग. म. नं. - सी/28, गोल चौक, रोहिणीपुरम, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492010 से प्राप्त दिनांक 02.12.2019 का अभ्यावेदन। (संलग्न)

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 23.12.2019 को 12.30 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डा. ललित नट्टा)
निदेशक

सेवा में,

मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सी एम सचिवालय,
डी.के.एस भवन, मंत्रालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001

9467-68
18/12/19
जारा किया
ISSUED

etc

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री बी.एल.साय, महासचिव, आरक्षित वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ, छ.ग.,
म.नं. - सी/28, गोल चौक,
रोहिणीपुरम, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492010